न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 51 / 2019

राजवीर कौर उर्फ चरणजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति कुम्हार
निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–
1 श्री सन्त कुमार अधिवक्ता (प्रार्थीया)
2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक : 06.11.19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया का नाम राजवीर कौर पत्नी मलकीत सिंह है जो कि सही नाम है व प्रार्थीया के आवश्यक दस्तावेजात में भी प्रार्थीया का नाम राजवीर कौर अंकित है परन्तु जमाबंदी चक 9 एस डी एस में प्रार्थीया का नाम चरणजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह अंकित है जिससे प्रार्थीया को अपने प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया की कृषि भूमि चक 9 एस डी एस जमाबदीसम्वत 2068–2071 खाता संख्या 6/8 प.न. 50/135 मु.न. 10 कि.न .2 ता 4, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 23,24 में 3.289 हे. नहरी, प.न. 53/135 मु.न. 13 कि.न. 2, 9 में 0.506 है. नहरी, प.न 51/136 मु.न. 25 कि.न. 4, 5, 7, 14, 17 में 1.526 है. नहरीमय खाला, प.न. 50/136 मु.न. 26 कि.न.3 में 0.253 है.नहरी मय खाला कुल खाता 5.313 है.नहरी मय गै.मु. रासता खाला आराजी में से प्रार्थीया के नाम अपनी बहिन के साथ ब.हि.ब. 0.928 है. आराजी दर्ज कागजात माल है इस प्रकार उक्त खाता में प्रार्थीया के नाम 0.464 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। चक 9 एस डीएस जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 7/7 में दर्ज कुल खाता 6.325 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रार्थीया के नाम 0.464 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। उक्त खातों की वादाधीन आराजी में प्रार्थीया का नाम चरणजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह दर्ज है जबकि सही नाम राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी मलकीत सिंहदर्ज होना चाहिये। प्रार्थीया को उक्त आराजी विरासतन प्राप्त हुयी है एव प्रार्थीया का पीहर पक्ष में नाम चरणजीत कौर ही था चूंकि सिख धर्म मेंप्रचलित नियमों के अनूसरण में प्रार्थीया का नाम शादी के रोज आनन्दकारज के समय ससुराल पक्ष द्वारा राजवीर कौर रखा गयाथा, एव ससुराल पक्ष मे प्रार्थीया का नाम राजवीर कौर रखे जाने से प्रार्थीया के दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम राजवीर कौर पत्नी मलकीत सिंह ही दर्ज है। जबकि जमाबदी में प्रार्थीया के नामगलत दर्ज हो गये है जबकि प्रार्थीया एक ही औरत है राजवीर कोर व चरणजीत कोर अलग अलग औरत नही है, इस सम्बध में ग्राम पंचायत की रिपोर्ट पेश की जा रही है। वगैरा–वगैरा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के नाम दर्ज चक 9 एस डी एस जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खातासंख्या 6/8 में दर्ज कुल खाता 5.313 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.464 है. आराजी एव चक 9 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 7/7 में दर्ज कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थीया केनाम दर्ज 0.464 है. में प्रार्थीया का नाम "चरणजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार सिख" के स्थान पर "राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर "दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश हुयी।

बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के नाम दर्ज आराजी प्रार्थीया के नाम से विरासतन दर्ज हुयी है व प्रार्थीया के नाम अलग रखे जाने के सम्बध में पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट में भी अंकन है कि प्रार्थीया का नाम शादि के उपरान्त बदल दिया गया है जो कि सिख धर्म के रिति रिवाजों के तहत हुआ है एव प्राप्त रिपोर्ट पर मौतबिरान व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये है एव प्रार्थीया के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पीहर पक्ष मे प्रचलित नाम दर्ज है, उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 9 एस डी एस जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खातासंख्या 6/8 में दर्ज कुल खाता 5.313 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता खाला में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.464 है. आराजी एव चक 9 एस डी एस जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 7/7 में दर्ज कुल खाता 6.325 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रार्थीया के नाम दर्ज 0.464 है. में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किया जाकर "चरणजीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह जाति कुम्हार सिख" के स्थान पर "राजवीर कौर पुत्री सुखदेव सिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी तख्तहजारा सिखान तहसील सादुलशहर "दर्ज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/11/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.22 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: